



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना अजनर पुलिस टीम ने अवैध तमंचा मय जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अवैध शस्त्र निर्माण व अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 03.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना अजनर थानाध्यक्ष लाखन सिंह द्वारा गठित की गयी उ०नि० राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने क्षेत्र में गश्त/भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के ग्राम आरी मोड़ के पास से अभियुक्त शिवांश तिवारी पुत्र संजू कुमार तिवारी उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम टिकरिया थाना अजनर जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया जिसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर नाजायज मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज की बरामदगी करते हुये नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु.अ.सं. 172/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुये, बाद आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

अपराध विवरण -

मु.अ.सं. 172/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर जिला महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्त -

शिवांश तिवारी पुत्र संजू कुमार तिवारी उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम टिकरिया थाना अजनर जनपद महोबा।

बरामदगी - 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज।



गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ०नि० राधेश्याम सिंह थाना अजनर जिला महोबा।
2. का० आशीष कुमार बघेल



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने अवैध तमंचा मय जिंदा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अवैध शस्त्र निर्माण व अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 03.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी उ०नि० चन्द्रशेखर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त जयसिंह पुत्र कुन्जीलाल उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम बौरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को मय 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ थाना कुलपहाड़ क्षेत्रअन्तर्गत ग्राम सतारी से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 230/2022 धारा 3/25 ARMS ACT का अभियोग पंजीकृत करते हुये नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त -

जयसिंह पुत्र कुन्जीलाल उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम बौरा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० चन्द्रशेखर सिंह
2. कां० देवेन्द्र राजपूत

बरामदगी- 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना खन्ना पुलिस टीम ने अवैध तमंचा मय जिंदा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अवैध शस्त्र निर्माण व अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 03.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना खन्ना प्रभारी (अपराध निरीक्षक थाना-खन्ना) देवेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा गठित की गयी उ०नि० अनिल कुमार पाण्डेय मय हमराह का० फतेबहादुर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त भैरव प्रसाद श्रीवास पुत्र इन्द्रपाल उम्र 27 निवासी ग्राम पौहार थाना बदौसा जनपद बांदा वर्ष को चन्द्रावल नदी के पुल के ऊपर बहद ग्राम खन्ना से मय 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया, बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु.अ.सं. 86/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुये नियमानुसार आवश्यक विधिक सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ०नि० अनिल कुमार पाण्डेय
2. का० फतेबहादुर



गिरफ्तार अभियुक्त व बरामदगी -

भैरव प्रसाद श्रीवास पुत्र इन्द्रपाल नि० ग्राम पौहार थाना बदौसा जिला बांदा उम्र 27 वर्ष, अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना।



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना चरखारी की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध शराब सहित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम अभियान के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 03.09.2022 को क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में थाना चरखारी प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ला द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।


उ0नि0 हरिभजन गौतम के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम ने रेलवे क्रासिंग पवा चौराहा बहद ग्राम सूपा के पास से 01 नफर अभियुक्त कला कबूतरा पत्नी दशरथ कबूतरा निवासी कबूतरा डेरा सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा को मय एक प्लास्टिक कि पिपिया में 10 लीटर कच्ची अवैध शराब के नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 264/22 धारा 60 EX ACT पंजीकृत किया गया।

उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम ने विजयपुर जाने वाली मोड़ ग्राम गौरहरी के पास से 01 नफर अभियुक्त गुलाब सिंह पुत्र रतन सिंह नि.ग्राम गौरहरी थाना चरखारी जनपद महोबा उम्र 30 वर्ष को एक प्लास्टिक के झोले में 20 अदद क्वार्टर देशी अवैध शराब के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 265/22 धारा 60 EX ACT पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

प्रथम टीम – 1.हरिभजन गौतम 2. का. अश्वनी कुमार 3. म.का.पुष्पा वर्मा

द्वितीय टीम – 1. सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया 2. हे.का.देवीशरण 3.का.कुलदीप कुमार





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कोतवाली महोबा की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध तमंचा मय जिन्दा कारतूस के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अवैध शस्त्र निर्माण व अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 03.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह द्वारा संयुक्त पुलिस टीम गठित की गयी।

उ.नि. उपेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह के नेतृत्व में गठित हुयी प्रथम टीम ने चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति के दौरान अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू कंजड़ पुत्र वकील उम्र 24 वर्ष निवासी चरखारी रोड़ सिकन्दरपुरा राठ नई बस्ती थाना राठ जिला हमीरपुर जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये बिलवई रेलवे क्रासिंग के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बरामदगी के आधार पर मु.अ.सं. 383/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

उ.नि. रमाकान्त शुक्ल मय हमराह के नेतृत्व में गठित हुयी द्वितीय पुलिस टीम ने चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति के दौरान अभियुक्त नरेश कुमार अहिरवार पुत्र मोहनलाल निवासी नयापुरा नैकाना थाना कोतवाली नगर महोबा उम्र 42 वर्ष हाल मुकाम ब्लाक न0 13 कमरा न0 136 काशीराम कालोनी थाना कोतवाली नगर महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर नाजायज व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद करते हुये काशीराम कालोनी राठ रोड़ तिराहा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बरामदगी के आधार पर मु.अ.सं. 382/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

प्रथम टीम- 1. उ0नि0 उपेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली महोबा

2. उ0नि0 अनुरुद्ध प्रताप सिंह 3. हे0का0 सुरेश कुमार

द्वितीय टीम- 1. उ0नि0 रमाकान्त शुक्ल प्रभारी चौकी सुभाष थाना कोतवाली नगर महोबा

2. उ0नि0 सनय कुमार प्रभारी चौकी बजरिया थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

3. हे0का0 राजनाथ मिश्रा





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 03.09.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस